न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 72/2024

तेजपाल पुत्र रूडाराम जाति अहीर निवासी कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

चन्दाराम पुत्र नारायण जाति जाट निवासी माचवा तहसील जयपुर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री लोकेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री हनुमान जाखड वकील अप्रार्थी

दिनांक :– 29.09.2025

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 898 रकबा 0.6828 है0 वाके ग्राम कालख तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमें आने जाने के लिए पूर्व मे 899 रकबा 0.6575 है0, ख0न0 902/2 रकबा 0.9610 है0 वाकै ग्राम कालख तहसील जोबनेर मे से रास्ता 10 फुट चौडा है जिसके वर्तमान ख0न0 902/1 व 899/1 गै0मु0 रास्ते के रूप मे दर्ज है उक्त रास्ते को 20 फुट चौडा करते हुये रास्ते के रूप मे जाने वाली आराजी ख0न0 902/2 व 899 मे से कम करते हुये गै0मु0 रास्ते के रूप मे दर्ज ख0न0 902/1 व 899/1 मे दर्ज की जाकर रास्ता रास्ते के रूप मे तरमीम की जावे। जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात मे सुविधापूर्वक आ जा सके एवं अपने कृषि यंत्रो को सुविधापूर्वक ले जा सके एवं भूमि की बाजोत करते मे प्रार्थी को सुविधा मिल सके। इसलिए ख0न0 899 रकबा 0.6575 है0, ख0न0 902/2 रकबा 0.9610 है0 मे से 10 फुट चौडा मार्क ए0. से बी0 संलग्न नक्शे मे दर्शित रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाकर पूर्व मे प्रचलित रास्ता ख0न0 902/1 व 899/1 को 20 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ते के लिए धारा 251ए राज0टिनेसी ऐक्ट के अनुसार भूमि के बदले उक्त ऐक्ट के तहत निर्धारित राशि जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीग को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। वकील अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) का जबाब इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने मान्य न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करके यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी ने पूर्व मे ही अपने हिस्से कि अराजियात मे से प्रार्थी को 10 फीट चौडा रास्ता दिया जा चुका है जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन भी हो चुका है जिसके बदले मे यह तय हुआ था कि प्रार्थी उक्त रास्ते मे दी गयी जमीन के बदले अप्रार्थी के नाम जमीन करायेगा परन्तु प्रार्थी के द्वारा इसकी पालना नही कि गयी है प्रार्थी की खातेदारी मे जाने के लिए मौके पर 10 चौडा रास्ता पहले से मौजुद है जो प्रार्थी द्वारा दिया गया है।

प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 01/11/2023 को 500 रूपये के किमती स्टाम्प पर सहमति पत्र लिखावट लिखी गयी थी कि प्रार्थी को अप्रार्थी के द्वारा 2 बिस्वा जमीन जो रास्ते के लिए दी गयी है उसके एवज मे प्रार्थी अपने हिस्से कि जमीन मे से अप्रार्थी की जमीन ख0न0 899 की सीमा के लगते हुए मौके पर दे दी गयी है परन्तु आजतक प्रार्थी ने यह जमीन अप्रार्थी के नाम नही करवायी है प्रार्थी के द्वारा 500 रूपये के स्टाम्प पर की गयी लिखावट की पालना नही की गयी है उक्त लिखावट पर प्रार्थी के अंगुठा निशानी है तथा अन्य मोजिज लोगो तथा तीन गवाहान पेमाराम चौपडा, श्रवण कुमार व मंगलाराम यादव के हस्ताक्षर है गांव के मोजिज लोगो की उपस्थित मे यह लिखावट लिखी गयी थी जिसकी पालना प्रार्थी के द्वारा नही की गयी है।

प्रार्थी मान्य न्यायालय के समक्ष नही आया है जमीन के बदले जमीन देने का वादा प्रार्थी के द्वारा किया गया था अप्रार्थी को विश्वास मे लेकर रास्ते के लिये समर्पणनामा करवा लिया जिसके अनुसार अप्रार्थी ने अपने कब्जे खातेदारी की जमीन ख0न0 902/ व 899/1 मे से 297 फुट लंबा व 10 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी के लिए दे दिया गया जिसका जरिये नामान्तरण सं0 1256 दि0 14/07/2005 को राजस्व रिकार्ड मे अंकन भी हो गया परन्तु आजतक प्रार्थी ने जमीन के बदले जमीन अप्रार्थी को नही दी गयी प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के साथ विश्वासघात किया गया है वादा खिलाफी करी है और अब रास्ता लेने के लिए मान्य न्यायालय के समक्ष यह झुठा प्रार्थना पत्र और पेश कर दिया है जो चलने योग्य नही है खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी को अप्रार्थी के द्वारा पूर्व मे ही 297 फुट लंबा तथा 10 फीट चौडा रास्ता दिया जा चुका है जो मौके पर प्रार्थी के लिए जाने आने हेतु मौजुद है अब रास्ता दिया जाना संभव नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 21.02.2024 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि कालख के आराजी ख0न0 898 रकबा 0.6828 बा.1 की खातेदारी तेजपाल पुत्र रूडाराम जाति अहीर हि0 7/36 सा.देह के नाम सहखातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी ख0न0 899/1 व 902/1 जो की गै.मु. रास्ते की भूमि है जिसकी चौडाई 10 फुट है। उसी रास्ते की चौडाई 10 फुट और चौडा रास्ता ख0न0 902/व 899 की उत्तरी सीमा पर चाहा गया है मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार 899/1/0.0126, 902/1/0.0126 गै.मु. रास्ता की भूमि है उक्त रास्ता कालख से बोबास

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जाने वाली सडक से मिलता है। वर्तमान मे उक्त रास्ता चालू है व मौके पर ब्लॉक सीमेन्ट टाईल का रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी इसी रास्ते पर स्थित ख0न0 902/2 व 899 की उत्तरी सीमा पर 10 फुट चौडा रास्ता चाहा गया है। जिसको नजरी नक्शे मे ए से बी दर्शाया गया है जिसकी लम्बाई 95 मी. है। चाहे गये रास्ते की भूमि ख0न0 902/2 व 899 पर मौके पर खातेदार द्वारा (120 लम्बाई X 20 फुट चौडा) भू भाग पर टीन सेट, बाथरूम व पक्की दिवार बना रखी है जिसको नजरी नक्शे मे सी से डी दर्शाया गया है।

मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ते की भूमि ख0न0 902/1 व 899/1 की उत्तरी सीमा ख0न0 896/1, 897/1 से लगती है उक्त ख0 नम्बरो पर भी 10 फुट चौडा रास्ता कायम किया जा सकता है। मौके पर उक्त वैकल्पिक रास्ते की भूमि पर कोई निर्माण नही है व रास्ते की लम्बाई 896/1/62मी0, 897/1/36मी0 कुल 98 मीटर होती है। जिसको नजरी नक्शे मे ई से एफ बिन्दू दर्शाया गया है। वर्तमान मे प्रार्थी के पास रास्ता उपलब्ध है प्रार्थी केवल रास्ता की चौडाई 10 फुट और चौडा कराना चाहता है। चाहे गये रास्ते की भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। चाहा गया रास्ता की भूमि 902/2, 899 मे से है जिस पर खातेदार द्वारा बैंक का रहन दर्ज है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर स्थगत नही है। चाहा गया रास्ता कालख से बोबास डामर सडक से सम्पर्क मे मु. रास्ते पर स्थित है। चाहा गया रास्ता की भूमि ख0न0 902/2/60 मी. व 899/35मी. कुल 95 मीटर लम्बाई है। जिसको ए से बी बिन्दु दर्शाया गया है। उक्त रास्ते की भूमि पर 120 X 20 फुट भू भाग पर टीन सेट, बाथरूम व पक्की दिवार बनी हुई है प्रस्तावित चाहे गया रास्ता का रकबा 95 X 3 मी. –285 वर्ग मीटर 0.0285 है0 रखा है। वैकल्पिक रास्ता जो की ख0न0 896/2/62मी0, 897/1/36मी0 कुल 98 मी. लम्बाई है जिसको ई से एफ दर्शाया गया है दोनो रास्तो की दुरी लगाकर बराबर है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 898 रकबा 0.6828 है0 वाके ग्राम कालख में आने जाने के लिए पूर्व मे 899 रकबा 0.6575 है0, ख0न0 902/2 रकबा 0.9610 है0 वाके ग्राम कालख तहसील जोबनेर मे से रास्ता 10 फुट चौडा है जिसके वर्तमान ख0न0 902/1 व 899/1 गै0मु0 रास्ते के रूप मे दर्ज है, उक्त रास्ते कल चौडाई कम होने से प्रार्थी को अपनी आराजीयात में कृषि यंत्रों का लाने ले जाने में असुविधा का सामना करना पडता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त रास्ते को 20 फुट चौडा करते हुये रास्ते के रूप मे जाने वाली आराजी ख0न0 902/2 व 899 मे से कम करते हुये गै0मु0 रास्ते के रूप मे दर्ज ख0न0 902/1 व 899/1 मे दर्ज की जाकर रास्ता रास्ते के रूप मे तरमीम की जावे। जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात मे सुविधापूर्वक आ जा सके एवं अपने कृषि यंत्रो को सुविधापूर्वक ले जा सके एवं भूमि की बाजोत करते मे प्रार्थी को सुविधा मिल सके।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वकील अप्रार्थी ने जवाब में दर्ज तथ्यो का ही दोहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अप्रार्थी के द्वारा पूर्व मे ही 297 फुट लंबा तथा 10 फीट चौडा रास्ता दिया जा चुका है जो मौके पर प्रार्थी के लिए जाने आने हेतु मौजुद है अब रास्ता दिया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खारिज फरमाया जावें।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थी द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर ख0न0 898 रकबा 0.6828 है0 वाके ग्राम कालख में पहुंच हेतु पूर्व में दर्ज 10 फुट चौडे रास्ते ख0न0 902/1 व 899/1 को 20 फिट चौडा करने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी ख0न0 899/1 व 902/1 जो की गै.मु. रास्ते की भूमि है जिसकी चौडाई 10 फुट है। उसी रास्ते की चौडाई 10 फुट और चौडा रास्ता ख0न0 902/व 899 की उत्तरी सीमा पर चाहा गया है मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार 899/1/0.0126, 902/1/0.0126 गै.मु. रास्ता की भूमि है उक्त रास्ता कालख से बोबास जाने वाली सडक से मिलता है। वर्तमान मे उक्त रास्ता चालु है व मौके पर ब्लॉक सीमेन्ट टाईल का रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी इसी रास्ते पर स्थिर ख0न0 902/2 व 899 की उत्तरी सीमा पर 10 फुट चौडा रास्ता चाहा गया है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी ख0न0 899/1 व 902/1 जो की गै.मु. रास्ते की भूमि है जिसकी चौडाई 10 फुट है। उसी रास्ते की चौडाई 10 फुट और चौडा रास्ता ख0न0 902/व 899 की उत्तरी सीमा पर चाहा गया है मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार 899/1/0.0126, 902/1/0.0126 गै. मु. रास्ता की भूमि है उक्त रास्ता कालख से बोबास जाने वाली सडक से मिलता है। वर्तमान मे उक्त रास्ता चालु है व मौके पर ब्लॉक सीमेन्ट टाईल का रास्ता बना हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशा काश्तकार को अति आवश्यक होने की स्थिति में अपनी आराजीयात की बा–जोत एवं कृषि यंत्रों व मवेशियों को लाने ले जाने हेतु सुगम एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध कराना है। ना की काश्तकार की वांछित ईच्छा अनुसार रास्ता प्रदान कराना है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पास पूर्व से ही रास्ता मौजूद है, जो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है तथा मौके पर चालु स्थिति में है। व मौके पर ब्लॉक सीमेन्ट टाईल का रास्ता बना हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neha

नेहा सतीड (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner